

## विशेष शिविर का आयोजन आज

छबड़ा (निसं)। एड्मन जयेंद्र झाला ने विद्युत बिलो की बकाया राशि जमा बताया कि उपभोक्ताओं को विद्युत करवाने के लिए उपखंड सहायक बिलो सम्बन्धी समस्याओं का अभियंता कार्यालय में गुरूवार को सुबह निराकरण करने, खराब मीटर 10 बजे से शाम 5 तक शिविर का बदलवाने, लम्बित विद्युत कनेक्शन व आयोजन किया जाएगा।

### राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3600 दिनांक-25.03.26  
आवास संख्या 1-ए-11 महावीर नगर विस्तार, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री बी. के. जोशी पुत्र श्री बी. बी. जोशी को किया गया। इस आवस का निर्माणिकरण श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामेश सिंह द्वारा दिनांक 15.07.2002 को किया गया। उक्त आवस का जीपीन श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामेश सिंह द्वारा दिनांक 29.10.2000 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामेश सिंह की मृत्यु दिनांक 26.04.2021 को एवं उनकी पुत्री श्रीमती अंजना कुमारी की मृत्यु दिनांक 16.03.2016 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरान्त इनके वारिसों में श्रीमती कुसुमा देवी पत्नी रघु, श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री अजय सिंह हुए हैं। श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा उक्त आवस में निहित अपने अधिाधिकारि हितों का स्वयं जखिर पेशीज डीड (हक परिचय पत्र) आवेक्षित कर दिनांक 18.02.2026 को श्री मनोज सिंह सिकवार पुत्र रघु, श्री देवेन्द्र सिंह सिकवार के पक्ष में किया गया। श्री मनोज सिंह सिकवार पुत्र रघु, श्री देवेन्द्र सिंह सिकवार द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवस संख्या 1-ए-11 महावीर नगर विस्तार, कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, सविभूति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रीजिज डीड (हक परिचय पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।  
अतः उक्त आवस का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, सविभूति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं रीजिज डीड (हक परिचय पत्र) के आधार पर श्री मनोज सिंह सिकवार पुत्र रघु, श्री देवेन्द्र सिंह सिकवार के नाम करने में किसी भी शक/अशक/उत्क को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित कर अन्याय यह मानते हुए कि आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री मनोज सिंह सिकवार पुत्र रघु, श्री देवेन्द्र सिंह सिकवार के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/शक/कार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री मनोज सिंह सिकवार पुत्र रघु, श्री देवेन्द्र सिंह सिकवार के नाम कर दिया जाएगा।  
**उप आवसन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

### कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-निकोटा/उपा.रा./2026/1060-63 दिनांक- 25.03.26  
**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**  
सर्व साधारण को जयें आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री आकाश अग्रवाल पुत्र श्री आर. के. अग्रवाल, निवासी जौपुर हाउस पुरानी चामसमण्डी अग्रसेन बजार रामपुरा, कोटा में नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट / मंत्र उपविधि 2016 के अनुसार "HOTEL AUREA" प्लॉट नं. एनपीबी-09, महावीर नगर प्रथम रिक्त, कोटा में होटल संचालन करने की अनुमति चाही गई है।  
इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लाक "ए" के प्रथम तल के कमर नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।  
समयावधि परचात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।  
**उपायुक्त राजस्व नगर निगम, कोटा**

### कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-निकोटा/उपा.रा./2026/1060-61 दिनांक- 25.03.26  
**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**  
सर्व साधारण को जयें आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्रीमति शान्ति देवी अग्रवाल पत्नी श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी 48, राजीव गांधीनगर, कोटा में नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट / मंत्र उपविधि 2016 के अनुसार "THE WALL FLOWER HOTEL" 48, राजीव गांधीनगर, कोटा में होटल संचालन करने की अनुमति चाही गई है।  
इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लाक "ए" के प्रथम तल के कमर नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।  
समयावधि परचात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।  
**उपायुक्त राजस्व नगर निगम, कोटा**

### कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-निकोटा/उपा.रा./2026/1060-62 दिनांक- 25.03.26  
**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**  
सर्व साधारण को जयें आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्रीमति शान्ति देवी अग्रवाल पत्नी श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी 48, राजीव गांधीनगर, कोटा में नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट / मंत्र उपविधि 2016 के अनुसार "THE WALL FLOWER HOTEL" 48, राजीव गांधीनगर, कोटा में होटल संचालन करने की अनुमति चाही गई है।  
इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लाक "ए" के प्रथम तल के कमर नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।  
समयावधि परचात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।  
**उपायुक्त राजस्व नगर निगम, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 235 दिनांक :- 25.3.26  
कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवस/भूखण्ड संख्या-91 विनोबा भावे नगर आवासीय योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-03/84 दिनांक 16.06.2003 द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रकाश शर्मा को आवंटन किया गया था। अवंती श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रकाश शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2026 श्री सत्यनारायण गान्धी पुत्र श्री मनो गणेश को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा भी उक्त भूखण्ड को जयें मुख्यालय आम दिनांक 21.01.2004 श्री ब्रजराज शर्मा पुत्र श्री बालू लाल शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।  
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रैराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्याय मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवस संख्या-91 योजना विनोबा भावे नगर आवासीय योजना का नाम हस्तांतरण आवेदन श्री ब्रजराज शर्मा पुत्र श्री बालू लाल शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 235 दिनांक :- 25.3.26  
कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवस/भूखण्ड संख्या-91 विनोबा भावे नगर आवासीय योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-03/84 दिनांक 16.06.2003 द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रकाश शर्मा को आवंटन किया गया था। अवंती श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रकाश शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2026 श्री सत्यनारायण गान्धी पुत्र श्री मनो गणेश को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा भी उक्त भूखण्ड को जयें मुख्यालय आम दिनांक 21.01.2004 श्री ब्रजराज शर्मा पुत्र श्री बालू लाल शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।  
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रैराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्याय मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवस संख्या-91 योजना विनोबा भावे नगर आवासीय योजना का नाम हस्तांतरण आवेदन श्री ब्रजराज शर्मा पुत्र श्री बालू लाल शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विकास/2026/822 दिनांक :- 25.03.2026  
**नाम हस्तांतरण चाहने वाला आम सूचना**  
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना श्रीमधुसूदन ई आवास भूखण्ड संख्या 194 कॉन्कर का आवंटन पत्र क्रमांक 644 दिनांक 09.12.2002 को श्रीमती डा. मोहनो नैनाजी पत्नी डा. श्री डी.ए. नैनाजी को नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती डा. मोहनो नैनाजी की मृत्यु दिनांक 10.12.2024 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्रीमती डा. मोहनो नैनाजी पत्नी डा. श्री डी.ए. नैनाजी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत अवरिचिस्ट संवीकरणना, मृत्यु प्रमाण पत्र, सतीसती गवाहों के शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री हारका दास नैनाजी पुत्र श्री निखल दास नैनाजी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जयें रजि. विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2026 को अपने नाम हस्तांतरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।  
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रैराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्याय मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 194 कॉन्कर नैनाजी आवास पत्र क्रमांक 644 का नामहस्तांतरण की हारका दास नैनाजी पुत्र श्री निखल दास नैनाजी की स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विकास/2026/939 दिनांक :- 25.03.26  
**नाम हस्तांतरण चाहने वाला आम सूचना**  
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना श्रीमधुसूदन ई आवास भूखण्ड संख्या 194 कॉन्कर का आवंटन पत्र क्रमांक 644 दिनांक 09.12.2002 को श्रीमती डा. मोहनो नैनाजी पत्नी डा. श्री डी.ए. नैनाजी को नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती डा. मोहनो नैनाजी की मृत्यु दिनांक 10.12.2024 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्रीमती डा. मोहनो नैनाजी पत्नी डा. श्री डी.ए. नैनाजी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत अवरिचिस्ट संवीकरणना, मृत्यु प्रमाण पत्र, सतीसती गवाहों के शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री हारका दास नैनाजी पुत्र श्री निखल दास नैनाजी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जयें रजि. विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2026 को अपने नाम हस्तांतरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।  
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रैराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्याय मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 194 कॉन्कर नैनाजी आवास पत्र क्रमांक 644 का नामहस्तांतरण की हारका दास नैनाजी पुत्र श्री निखल दास नैनाजी की स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विकास/2026/939 दिनांक :- 25.03.26  
**नाम हस्तांतरण चाहने वाला आम सूचना**  
कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवस/भूखण्ड संख्या-1 केशवपुरा 7 योजना का नाम हस्तांतरण के पत्र क्रमांक-403 दिनांक 27.06.2024 को श्री श्री प्रदीप चौरसीया पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण चौरसीया एवं श्री स्तीश चौरसीया पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण चौरसीया को आवंटित किया गया था। श्री प्रदीप चौरसीया की मृत्यु दिनांक 08.03.2025 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात् श्री प्रदीप चौरसीया के विधिक वारिसान के द्वारा श्री विराग चौरसीया पुत्र श्री रघु, श्री प्रदीप चौरसीया के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग प्रहति श्री विराग चौरसीया पुत्र श्री रघु, श्री प्रदीप चौरसीया के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।  
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रैराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज कराये अन्याय मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त आवस / भूखण्ड संख्या-1 केशवपुरा 7 योजना का नाम हस्तांतरण श्री विराग चौरसीया पुत्र श्री रघु, श्री प्रदीप चौरसीया के नाम से जारी कर दिया जायेगा।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विकास/2026/940 दिनांक :- 25.3.26  
**नाम हस्तांतरण चाहने वाला आम सूचना**  
कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवस/भूखण्ड संख्या-6 केशवपुरा 6 धरती होल्डर योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 173 दिनांक 06.03.1992 द्वारा श्री सलीम पुत्र श्री रूफतुल अली को आवंटित किया गया था। श्री सलीम के द्वारा श्री अब्दुल कदिर पुत्र श्री इश्क मोहम्मद को उक्त भूखण्ड के कार्यवाही की सम्बन्ध में मुख्यालय आयुक्त किया गया मुख्यालय के आधार पर उक्त भूखण्ड का बेचान जयें विक्रय पत्र दिनांक 07.04.2003 को श्री रियाज मोहम्मद पुत्र श्री इश्क मोहम्मद को कर दिया गया है। रियाज मोहम्मद पुत्र श्री इश्क मोहम्मद अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।  
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रैराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज कराये अन्याय मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त आवस / भूखण्ड संख्या-6 केशवपुरा 6 धरती होल्डर योजना का नाम हस्तांतरण श्री रियाज मोहम्मद पुत्र श्री इश्क मोहम्मद के नाम कर दिया जायेगा।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/क.सू.र./2026/2289 दिनांक :- 25.03.2026  
सर्व साधारण को जयें विज्ञापित सूचित किया जाता है कि ग्राम कुसुन्डी में विद्युत कृषि भूमि योजना माटिया कॉलोनीवास्तव्य बा.वि. में विद्युत भूखण्ड संख्या सी-13 आवेक/आवेकिका हरीद्वार स्थानन अग्रवाल पुत्र श्री ए.ए. अग्रवाल निवासी बार्ड नं. 29 बलान नगर 45 महावीर बाग निगम म.अ. आनखरान नाम हस्तांतरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूखण्ड का पत्र क्रमांक 12087 दिनांक 07.05.2012 को गुप्ता देवी पत्नी श्री ए.ए. अग्रवाल के पक्ष में जारी किया गया था। महावीर हाई वोल्टेज का बेचान जयें रजि. विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2022 से अद्यत्त नाम पत्नी श्री पंचक शर्मा के पक्ष में किया गया है। रिक्त पत्र जारी लाई नाम हस्तांतरण आवेदन UIT-KOTA/FY22-23/MUT/3046 दिनांक 15.03.2025 को जारी किया गया।  
नामहस्तांतरण अनुमति प्राप्त उक्त भूखण्ड का बेचान जयें रजि. विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2025 को हरीद्वार स्थानन अग्रवाल पुत्र श्री ए.ए. अग्रवाल एवं श्रीमती नैना अग्रवाल पत्नी श्री हरीद्वार स्थानन के पक्ष में किया गया है।  
शकृतेक नवनील अग्रवाली की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार मृत्यु दिनांक 14.07.2025 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त अग्रवाल के विधिक वारिसान पति श्रीमन्तर अग्रवाल, पुत्र सुरेश अग्रवाल, पुत्री शीला है। वारिसान नरेश अग्रवाल पति नारायण अग्रवाल पुत्र श्री ए.ए. अग्रवाल को दिनांक 13.08.2025 को आवेदन के पक्ष में किया गया है। अतः हरीद्वार स्थानन अग्रवाल पुत्र श्री ए.ए. अग्रवाल के पक्ष में नामहस्तांतरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 दिवस कार्यवाही में उपविधि होकर आवेदन करने में अवरोधकारिताओं को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विकास/2026/880 दिनांक :- 24.03.2026  
**नाम हस्तांतरण चाहने वाला आम सूचना**  
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना नू.प्रेम मण्डी व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 90 का नामहस्तांतरण क्रमांक 502 दिनांक 29.08.2022 को श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामप्रताप गुप्ता के नाम हस्तांतरण किया गया था। श्री सत्यनारायण गुप्ता की मृत्यु दिनांक 14.05.2025 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामप्रताप गुप्ता के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड रीजिज डीड (हक स्वयं पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अवरिचिस्ट, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री सुमित गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड 90 नू.प्रेम मण्डी व्यावसायिक भूखण्ड का अपने नाम हस्तांतरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।  
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रैराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्याय मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 90 योजना नू.प्रेम मण्डी व्यावसायिक योजना का नामहस्तांतरण की सुमित गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

### कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विकास/2026/880 दिनांक :- 24.03.2026  
**नाम हस्तांतरण चाहने वाला आम सूचना**  
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना नू.प्रेम मण्डी व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 90 का नामहस्तांतरण क्रमांक 502 दिनांक 29.08.2022 को श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामप्रताप गुप्ता के नाम हस्तांतरण किया गया था। श्री सत्यनारायण गुप्ता की मृत्यु दिनांक 14.05.2025 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामप्रताप गुप्ता के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड रीजिज डीड (हक स्वयं पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अवरिचिस्ट, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री सुमित गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड 90 नू.प्रेम मण्डी व्यावसायिक भूखण्ड का अपने नाम हस्तांतरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।  
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रैराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्याय मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 90 योजना नू.प्रेम मण्डी व्यावसायिक योजना का नामहस्तांतरण की सुमित गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।  
**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

## पुलिस पेंशनर्स संगठन ने केंद्र की पेंशन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया

कोटा, (निसं)। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान कोटा संभाग एवं जिला शाखा, कोटा द्वारा केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के विरोध में काला दिवस मनाया और जुलूस निकालकर नारेबाजी की। सैंकड़ों पेंशनर्स बैनर्स के साथ स्थानीय सैक्टेंट हाउस से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वित्त विधेयक 2025 के आपत्तिजनक प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की।

संभागीय अध्यक्ष नवनीत महर्षि एवं जिला अध्यक्ष तेजराज सिंह ने एक संयुक्त बयान के माध्यम से जानकारी दी कि इस विधेयक के दूरगामी एवं विनाशकारी परिणाम होंगे जिससे राजस्थान प्रदेश के भी लाखों पेंशनर्स का भविष्य संकट में हो जाएगा।

इस अधिनियम के लागू होने की स्थिति में पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन पात्रता के संबंध में वर्गीकरण और उनके बीच के अंतर का आधार होगा जिससे केंद्रीय वेतन आयोग अथवा किसी भी वेतन आयोग के कार्यकाल से पहले के पेंशनर्स वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ से वंचित हो जाएंगे। पेंशन एक सामाजिक व कल्याणकारी व्यवस्था है जो पेंशनर्स को



कोटा में पुलिस पेंशनर्स संगठन के द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया।

सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त दान करती है।

उल्लेखनीय है कि इन पेंशनर्स ने सेवा काल के दौरान अपने सुनहरे दिन नियोक्ता की सेवा में इस आशवासन एवं आशा के आधार पर व्यतीत किए हैं कि वृद्धावस्था में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक इसके विपरीत सांसदों और विधायकों को उनके प्रत्येक कार्यकाल हेतु बार-बार पेंशन का लाभ दिया जाना जनता के गाढ़े पसिने की कमाई का दुरुपयोग है किंतु इसपर सरकार का मोन धारण करना भी गंभीर

चिंता का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार पेंशन को पेंशन भुगतान हेतु समेकित कोष का भी प्रावधान किया गया है। 7वें वेतन आयोग द्वारा भी पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2016 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स के बीच समानता की अनुशंसा की थी जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार भी किया गया था। पेंशनर्स द्वारा उसी के अनुरूप आठवें वेतन आयोग में भी इसी सिद्धांत को यथावत रखे जाने की मांग देहाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि

## विद्युत निगम कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

छबड़ा (निसं)। विद्युत निगम के जेईएन तथा कार्मिकों द्वारा भाजपा कार्यकर्ता के साथ की गई मारपीट की घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्यक्त हो गया है। बुधवार को एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यकर्ता पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने और देशी कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की।

भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम रामसिंह गुर्जर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि मंगलवार लगभग घाम चार बजे निगम

के कर्मचारी नानुखेडी गांव में पहुंचे थे, यहां ट्रांसफार्मर उठाने के नाम पर भाजपा कार्यकर्ता बृजमोहन मीणा के साथ जेईएन एवं लाईनमेन दिनेश मीणा, रिंकु मीणा, रामनिवास मीणा एवं रघुवीर मीणा ने लात घुसे से मारपीट की जिससे बृजमोहन के गंभीर चोट आई है। जिसे उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय लाया गया, यहां से उसका प्राथमिक उपचार कर गंभीरवस्था के चलते बारां रेफर कर दिया है। जब इस मामले में पीडित बृजमोहन के वृत्त ने वाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया तो विद्युत

निगम के कार्मिकों द्वारा इस मुकदमे से बचने के लिए बृजमोहन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। ज्ञापन में बताया कि लाईनमेनो द्वारा छबड़ा क्षेत्र में मौखिक रूप से अवैध डीपी संचालित करने वाली से मनमोही अनुसार खुलेआम चीजें वसूली भी की जाती है। ऐसा नहीं करने पर कार्मिकों द्वारा लड़ाई झगडा किया जाता है। उन्होंने विद्युत निगम के कार्मिकों पर किसानों को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए इस कृत्य पर पीछे

## मोशन एजुकेशन का मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम

कोटा, (निसं)। मोशन एजुकेशन के फाउंडर एवं एजुकैटर नितिन विजय ने कहा कि आईआईटी-जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों में धारणा है कि ये बेहद कठिन है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है, ये परीक्षाएं टफ नहीं, बल्कि डिफरेंट हैं। द्रोणा-2 कैंपस में बुधवार को आयोजित मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हजारों छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्होंने तैयारी की रणनीति, मानसिकता और अनुशासन पर विस्तार से बात की। कार्यक्रम में जेईई डिवाइज के ज्वाइंट डायरेक्टर रामप्रतन द्विवेदी, डिप्टी डायरेक्टर निखिल श्रीवास्तव और नीट डिवाइज के ज्वाइंट डायरेक्टर अमित वर्मा ने भी छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने मोशन एजुकेशन की कोचिंग प्रणाली, सफलता के मंत्र और प्रभावी अध्ययन रणनीतियों की विस्तृत जानकारी दी। नितिन विजय ने बताया कि बोर्ड, नीट और जेईई, तीनों की तैयारी का तरीका अलग होता है।

### नाम परिवर्तन

मेरे पूर्व के नाम गौरा बाई (GAURAN BA) से मैं अपना नाम बदलकर वर्तमान में गौरांगी (GAURANGI) रख रही हूँ। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये।  
पता-गौरांगी पुत्री पूरणमल, बड का पेड़, वाल्मीकि बस्ती, इस्माइल चौक, नयापुरा, कोटा

### क्याया पाया

मकान नंबर 2-क-6 केशवपुरा योजना टीचर्स कॉलोनी कोटा का राखणन आवसन मंडल द्वारा जारी असल अवेदन पत्र रजिस्ट्रीदार, असल परचिपत्रक सी-ए एवं कन्येस-डी एवं श्री भृगुलाल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा आवेक्षित रजिस्टर्ड असल वसीसत दिनांक 17.5.2000 को कही गयी हो एप 11/निसं/ए/सूचित करें।  
रघुवीर प्रकाश शर्मा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा को. 9783527451

### कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101149	लोक सूचना	दि. 25.03.2026		
M/S VRB DEVELOPERS LLP THROUGH BHUPENDRA JHURIA पुत्र श्री MAHENDRA SINGH जाट JAT प्लॉट ग्राउण्ड फ्लोर प्लॉट NO-A-1, SCHEMENO 11A,SHIV SHANKAR COLONY NEAR BHANSAROVER METRO STATION NEW SANGANER ROAD JAIPUR RAJASTHAN में इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवस/भूखण्ड प्रयोजन के उपयोग हेतु (सी) भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वाहन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -				
क्र. मा.हासिली व स. जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अवसृत (हेक्ट.)
1. सी.ता. तालेड़ा (बून्दी)	VRB DEVELOPERS LLP GROUND FLOOR, PLOT NO-A-1, SCHEMENO 11A,SHIV SHANKAR COLONY, NEAR BHANSAROVER METRO STATION, NEW SANGANER ROAD JAIPUR RAJASTHAN	1304/706 701 1309/1305	10439 1781 4106	1.0439 0.1781 0.1626

### कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रूपांतरण नगर परिषद, बारा

क्रमांक-नया/बंघा./2025/12944 दिनांक-24.03.2026  
श्री सुकेशनाथ स्वयंसेवक अग्रवाल पुत्र श्री उमनालाल अग्रवाल निवासी बारां तह. व जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का रूपांतरण प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि जो अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वाहन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात् -

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील जिला बारां	आमपुरा	337, 1.74 है. में से 1.04 है.	
		340	0.47 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान नू.राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए और राजस्थान अधिभूत अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अन्तर्गत प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकारों के निर्वाहन के संबंध में कोई आवेदन हो तो वह इस नोटिस के अंतर्गत 7 दिवस के भीतर लिखित किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान आवेदनांतरणकर्ता के सम्पर्क सांख्यिक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उपायुक्त निदेशक नगर से भीतर भीतर किसी कार्य के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आवेदन नहीं है, और तदनुसार मामले का नि